राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बाबूलाल बनाम तीजा देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित | उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे | अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/04/2026 को पेश हो |	
13/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 7 के पूर्वज सुवालाल ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत करते हुये आदेश दिनांक 05/05/2007 पारित करते हुये अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट टाकरडा में नियत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08/05/2017 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार कर उभयपक्षों को ता-फैसला मूल वाद राजस्व रिकार्ड की वर्तमान यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर रेस्पो. के अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत घोषणा के वाद के साथ प्रस्तुत प्रश्नाधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का न्याय आपके द्वारा कैम्प में सहमति के आधार पर निस्तारण करते हुये वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया है एवं कानूनन भी घोषणा का बिन्दु वाद में प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किया जाना होता है एवं घोषणा का बिन्दु तय होने से पहले वादग्रस्त भूमि का विक्रय/हस्तान्तरण अथवा रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन होता है तो प्रकरण में अनावश्यक पेचीदगीयां उत्पन्न होकर पक्षकारान में वाद बहुलता बढना सम्भव है, जिसे रोका जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायसंगत एवं विधिसम्मत जाहिर होता है | इसके अतिरिक्त	

532/2017

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बाबूलाल बनाम तीजा देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

532/2017

अपील के स्तर पर अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में स्थापित करने में असफल रहे है|

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08/05/2017 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थीगण ख़ारिज की जाती है|

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो|

निर्णय आज दिनांक 13/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया|

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर